

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
स0-4/आ0 वि0 (संधा0)- 01-03/2017- 76

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार (भा0 प्र0 से0)
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
आरा एवं नालंदा।

पटना, दिनांक-13.10.17

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में ₹12444000/- (एक करोड़ चौबीस लाख चौवालीस हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 65 आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थाई पदों के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में विभागीय आवंटनादेश संख्या-18, दिनांक-06.06.2017 द्वारा पूरे वर्ष के लिए राशि आवंटित की गई है।

2- जिला कल्याण पदाधिकारी, आरा के पत्र सं0-2153, दिनांक-13.09.2017, एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, नालंदा के पत्र सं0-2508, दिनांक-13.09.2017, के आलोक में (वेतन एवं अन्य भत्ते मद में) ₹12444000/- (एक करोड़ चौबीस लाख चौवालीस हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार अतिरिक्त आवंटित की जाती है।

3- कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय व्यय शीर्ष माँग सं0-44-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0003-आवासीय विद्यालय-कूट सं0-0003.01.01-वेतन, 0003.01.03-जीवन यापन भत्ता, 0003.01.04-मकान किराया भत्ता, 0003.01.05, परिवहन भत्ता, 0003.01.06- चिकित्सा भत्ता, विपत्र कोड सं0-44- 2225012770003 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

4- इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी, होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5- वित्त विभाग के पत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-एम0-04-05/- 98-2607 वि(2) दिनांक-20.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

6- संबंधित विद्यालयों से वित्तीय वर्ष 2017-18 पूर्व में आवंटित राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा, उन्हीं विद्यालयों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों से संतुष्ट होने के पश्चात संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे। साथ ही जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भेजा जायेगा।

7- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा साथ करेंगे।

8- आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

10- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।


विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक- 4/आ० वि० (संघा०)- 01-03/2017- 76

पटना, दिनांक - 18.10.17

प्रतिलिपि :-संलग्न विवरणी के साथ महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित उप निदेशक कल्याण, बिहार/जिला कल्याण पदाधिकारी, आरा/नालंदा/संबंधित उप विकास आयुक्त, बिहार/आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनु० जाति आवासीय विद्यालयों के स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन एवं अन्य भत्ते मद में पूरे वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटित राशि की विवरणी:-

क्र०	विद्यालय का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	परिवहन भत्ता	मकान भत्ता	चिकित्सा भत्ता	योग (कॉलम-3 से 7 तक का)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+2 अनु० जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, आरा।	1200000	1600000	0	100000	10000	2910000
2	+2 अनु० जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, आरा।	1400000	1800000	0	100000	12000	3312000
3	+2 अनु० जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, मुढारी, हरनौत।	1200000	1600000	0	100000	10000	2910000
4	+2 अनु० जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, राजगीर।	1400000	1800000	0	100000	12000	3312000
	कुल योग	5200000	6800000	0	400000	44000	12444000

(एक करोड़ चौबीस लाख चौवालीस हजार रुपये मात्र)

पत्रांक-76 दिनांक-18.10.17का अनुलग्नक।

[Handwritten Signature]
निर्देशिका